रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012020-215268
CG-DL-E-09012020-215268

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2020/पौष 16, 1941
No. 06] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2020/PAUSHA 16, 1941

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020

सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.053.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(गक) "कारपोरेट समापन खाता" से बोर्ड द्वारा विनियम 46 के अधीन रखा गया और प्रचालित कारपोरेट समापन खाता अभिप्रेत है;"।

3. मूल विनियमों के विनियम 2ख के उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो संहिता के अधीन कारपोरेट ऋणी के दिवाला समाधान के लिए कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने का पात्र नहीं है, ऐसे समझौते या ठहराव का किसी रीति में कोई पक्षकार नहीं होगा ।"।

4. मूल विनियमों के विनियम 6 के उप-विनियम (2) में, खंड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(थ) अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आगमों का रजिस्टर; और"

5. मूल विनियमों के विनियम 21क में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(2) जहां कोई प्रतिभूत लेनदार अपने प्रतिभूति हित की वसूली करने की कार्यवाही करता है, वहां वह –

(क) परिसमापक को समापन प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन संदेय रकम के मद्धे उतनी रकम का संदाय करेगा जितनी उसने तब सांझा की होती यदि उसने प्रतिभूति हित का परित्याग कर दिया होता; और

(ख) परिसमापक को समापन प्रारंभ होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के भीतर अपने स्वीकृत दावों की रकम के मुकाबले आस्ति के वसूल किए गए मूल्य के उस आधिक्य का, जो प्रतिभूति हित के अधीन है, संदाय करेगा :

परन्तु जहां इस उप-विनियम के अधीन संदेय रकम उस तारीख तक, जब इस उप-विनियम के अधीन रकम संदेय हो, निश्चित नहीं है वहां प्रतिभूत लेनदार परिसमापक द्वारा यथा-प्राक्कलित रकम का संदाय करेगा:

परन्तु यह और कि इस उप-विनियम के अधीन संदेय रकम और प्रथम परन्तुक के अधीन संदत्त की गई रकम के बीच किसी अंतर को, यथास्थिति, प्रतिभूत लेनदार या परिसमापक द्वारा इस उप-विनियम के अधीन संदेय रकम के निश्चित हो जाने और परिसमापक द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर, यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा ।

(3) जहां कोई प्रतिभूत लेनदार उप-विनियम (2) का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां वह आस्ति, जो प्रतिभूति हित के अधीन है, समापन संपदा का भाग बन जाएंगी ।"।

6. मूल विनियमों के विनियम 37 में, उप-विनियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(8) कोई प्रतिभूत लेनदार किसी ऐसी आस्ति का, जो प्रतिभूति हित के अधीन है, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो संहिता के अधीन कारपोरेट ऋणी के दिवाला समाधान के लिए कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने का पात्र नहीं है, विक्रय या अंतरण नहीं करेगा ।"।

7. मूल विनियमों के विनियम 46 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"46. कारपोरेट समापन खाता

(1) बोर्ड भारत के लोक खाते में एक खाता रखेगा और उसका प्रचालन करेगा जिसे कारपोरेट समापन खाता कहा जाएगा:

परन्तु जब तक कारपोरेट समापन खाते का प्रचालन भारत के लोक खाते के भाग स्वरूप नहीं किया जाता है, तब तक बोर्ड इस विनियम के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् बैंक खाता खोलेगा ।

(2) परिसमापक, इससे पूर्व कि वह विनियम 45 के उप-विनियम (3) के अधीन कोई आवेदन प्रस्तुत करे, किसी समापन कार्यवाही में अदावाकृत लाभांशों, यदि कोई है, और अवितरित आगमों, यदि कोई हैं, की रकम, जमा करने की तारीख तक उस पर अर्जित किसी आय सहित, कारपोरेट समापन खाते में जमा करेगा ।

(3) ऐसा परिसमापक, जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख को किसी समापन कार्यवाही में अदावाकृत लाभांशों या अवितरित आगमों की कोई रकम धारित करता है, उसे ऐसे प्रारंभ की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर उस पर जमा किए जाने की तारीख तक अर्जित आय सहित जमा करेगा ।

(4) ऐसा परिसमापक, जो इस विनियम के अधीन कोई रकम कारपोरेट समापन खाते में जमा करने में असफल रहता है, उसे जमा करने की नियत तारीख से जमा करने की तारीख तक उस पर बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित जमा करेगा ।

(5) परिसमापक, उस प्राधिकारी को, जिसके पास कारपोरेट ऋणी रजिस्ट्रीकृत है और बोर्ड को इस विनियम के अधीन कारपोरेट समापन खाते में रकम जमा करने का साक्ष्य और कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई रकम की प्रकृति और अदावाकृत लाभांश या अवितरित आगम प्राप्त करने के हकदार हितधारकों के नाम और उनके अंतिम ज्ञात पते उपवर्णित करते हुए प्ररूप-झ में एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(6) परिसमापक, इस विनियम के अधीन कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई किसी रकम के लिए बोर्ड से रसीद लेने का हकदार होगा ।

(7) ऐसा हितधारक, जो कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई किसी रकम का हकदार होने का दावा करता है, रकम की निकासी के लिए आदेश हेतु बोर्ड को प्ररूप ञ में आवेदन कर सकेगा:

परन्तु यदि हितधारक से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई किसी रकम का हकदार होने का दावा करता है तो वह बोर्ड को संतुष्ट करने के लिए कि वह इस प्रकार हकदार है, साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

(8) बोर्ड, यदि संतुष्ट हो जाता है कि हितधारक या उप-विनियम (7) के अधीन निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति कारपोरेट समापन खाते में से किसी रकम की निकासी का हकदार है तो वह उस हितधारक या उस अन्य व्यक्ति के पक्ष में उसके लिए आदेश कर सकेगा ।

(9) बोर्ड, इस विनियम के अधीन कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई रकम और उसमें से निकाली गई रकम की कारपोरेट ऋणी-वार लेखा-बही रखेगा ।

(10) बोर्ड, कारपोरेट समापन खाते के अभिरक्षक के रूप में बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के स्तर के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करेगा और उसके अनुमोदन के बिना किसी भी आगम की निकासी नहीं की जाएगी ।

(11) बोर्ड, कारपोरेट समापन खाते का समुचित लेखा रखेगा और उसकी प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा कराएगा ।

(12) उप-विनियम (11) में निर्दिष्ट कारपोरेट समापन खाते के लेखा विवरण सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट शासी बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी और उसे केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा ।

(13) इस विनियम के अनुसरण में कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई ऐसी कोई रकम, जो कारपोरेट ऋणी के विघटन के आदेश की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक अदावाकृत या अवितरित बनी रहती है, और कारपोरेट समापन खाते में प्राप्त या अर्जित आय या ब्याज की कोई रकम भारत की संचित निधि में अंतरित कर दी जाएगी ।"

8. मूल विनियमों के विनियम 47 की सारणी में क्रम सं. 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	धारा / विनियम	कार्य का वर्णन	मानक	अद्यतन समयसीमा (दिनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"20	विनियम 46	अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आगमों को जमा करना	विनियम 45 के उप-विनियम (3) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व"	

9. मूल विनियमों की अनुसूची II में,-

(क) प्ररूप ज के पैरा 2 में की सारणी के क्रम संख्यांक 44, 45 और 46 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	विशिष्टियां	वर्णन
(1)	(2)	(3)
"44	अदावाकृत लाभांश और अवितरित आगम और विनियम 46 के उप-विनियम (2), (3) और (4) के अधीन उन पर आय और ब्याज जमा करने की तारीख	
45	कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई रकम: (क) अदावाकृत लाभांशों की रकम (ख) अवितरित आगमों की रकम (ग) विनियम 46 के उप-विनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट आय (घ) विनियम 46 के उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट ब्याज कुल	
46	बोर्ड और विनियम 46 के उप-विनियम (5) के अधीन प्राधिकारी को प्रस्तुत करने की तारीख";	

(ख) प्ररूप ज के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"प्ररूप -झ

अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आगमों का निक्षेप

[*भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 46(5) के अधीन*]

क. समापन प्रक्रिया के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2	कारपोरेट ऋणी का पहचान संख्यांक(सी.आई.एन./ डी.आई.एन.)	
3	सी.आई.आर.पी. प्रारंभ होने की तारीख	
4	समापन प्रारंभ होने की तारीख	
5	कारपोरेट समापन खाते में जमा करने की तारीख	
6	कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई रकम(रु.)	
7	बैक खाता, जिसमें से कारपोरेट समापन खाते में रकम अंतरित की गई है –	

	(क) खाता सं.: (ख) बैंक का नाम: (ग) आई.एफ.एस.सी.: (घ) एम.आई.सी.आर.: (ङ) बैंक की शाखा का पता:	
8	कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई रकम के ब्यौरे (रु.) (क) अदावाकृत लाभाश (ख) अवितरित आगम (ग) जमा करने की नियत तारीख तक अर्जित आय (घ) नियत तारीख से परे प्रतिधारित रकम पर बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज(कृपया ब्याज की रकम की संगणना दर्शित करें) **कुल**	

ख. अदावाकृत लाभांशों या अवितरित आगमों के हकदार हितधारकों के ब्यौरे

क्रम सं.	अदावाकृत लाभांश या अवितरित आगम प्राप्त करने के हकदार हितधारक का नाम	हितधारक का पता, फोन नं. और ईमेल पता	हितधारक का पहचान संख्यांक (पैन, सी.आई.एन., आधार सं.) (कृपया पहचान सबूत संलग्न करें)	हितधारक को देय रकम (रु.)	दावे की प्रकृति (रु.)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						

ग. कारपोरेट समापन खाते में किए गए निक्षेप के ब्यौरे

मैने (परिसमापक का नाम) कारपोरेट समापन खाते में ..... को पावती सं..... द्वारा ..... रुपए (..... रुपए केवल) जमा किए हैं ।

मैं *(परिसमापक का नाम)* यह प्रमाणित करता हूं कि इस प्ररूप में दिए गए ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं तथा इसमें किसी भी तात्विक सामग्री को छिपाया नहीं गया है ।

(हस्ताक्षर)
परिसमापक का नाम
आई.पी.रजिस्ट्रीकरण सं.:
बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता:
बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल आई.डी.:

तारीख:

स्थान:

प्ररूप ञ

कारपोरेट समापन खाते में से निकासी

[*भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 46(7) के अधीन*]

क्रम सं.	विवरण	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2.	कारपोरेट ऋणी का पहचान संख्यांक(सी.आई.एन./ डी.आई.एन.)	
3.	सी.आई.आर.पी. प्रारंभ होने की तारीख	
4.	समापन प्रारंभ होने की तारीख	
5.	विघटन आदेश की तारीख	
6.	कारपोरेट समापन खाते में जमा करने की तारीख	
7.	निकासी की ईप्सा करने वाले हितधारक का नाम	
8.	हितधारक का पहचान संख्यांक (क) पैन (ख) सी.आई.एन. (ग) आधार सं.	
9.	हितधारक का पता और ईमेल पता	
10.	परिसमापक द्वारा स्वीकृत हितधारक के दावे की रकम	
11.	परिसमापक द्वारा कारपोरेट समापन खाते में हितधारक के नाम में जमा की गई अदावाकृत लाभांश/अवितरित आगम की रकम	
12.	अदावाकृत लाभांश/अवितरित आगम की वह रकम रकम जिसे हितधारक द्वारा कारपोरेट समापन खाते में से निकालने की ईप्सा की गई है	
13.	बैक खाता, जिसमें कारपोरेट समापन खाते में से रकम अंतरित की जानी है, यदि निकासी का अनुमोदन किया जाता है (क) खाता सं.: (ख) बैंक का नाम: (ग) आई.एफ.एस.सी.: (घ) एम.आई.सी.आर.: (ङ) बैंक की शाखा का पता:	
14.	समापन प्रक्रिया के दौरान लाभांश या आगम न लेने के कारण	
15.	निकासी के लिए आवेदन करने में कोई विधिक अशक्तता?(हां/नहीं) यदि हां, तो ब्यौरा दें	

घोषणा

मैं (*हितधारक का नाम*) वर्तमान पता....(*पता अंत:स्थापित करें*), यह घोषणा और कथन करता हूं :

1. मैं, कारपोरेट समापन खाते में से, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, ...रुपए (..... रुपए केवल) की राशि प्राप्त करने का हकदार हूं ।

2. उक्त राशि या उसके किसी भाग की बाबत, न तो मैने और न ही मेरी जानकारी या विश्वास के अनुसार मेरे आदेश से किसी अन्य व्यक्ति ने मेरे उपयोग के लिए, निम्नलिखित के सिवाय, किसी रीति में कुछ भी तुष्टिकरण या प्रतिभूति प्राप्त की है :.....

3. यदि बोर्ड यह पाता है कि मैं यह रकम प्राप्त करने का हकदार नहीं हूं तो मैं बोर्ड द्वारा यथा-विनिश्चित संपूर्ण रकम ब्याज सहित लौटाने का वचन देता हूं ।

4. यदि मेरा दावा किसी भी समय मिथ्या पाया जाता है तो मैं बोर्ड को समुचित विधिक कार्रवाई आरंभ करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

तारीख:

स्थान:

(हितधारक के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं (*नाम*) इसके ऊपर हितधारक, यह सत्यापित करता हूं कि इस प्ररूप की अंतर्वस्तु मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और ठीक है तथा इसमें किसी भी तात्विक तथ्य को छिपाया नहीं गया है ।

.....20.. को सत्यापित ।

(हितधारक के हस्ताक्षर)

[*टिप्पण: कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, घोषणा और सत्यापन निदेशक/प्रबधक/सचिव द्वारा और अन्य इकाइयों की दशा में, इकाई द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा*]" ।

10. मूल विनियमों की अनुसूची III में,-

(क) 'वितरण रजिस्टर' के अधीन, 'निदेश' के नीचे, क्रम संख्याक 4 में "भारतीय लोक खाता" शब्दों के स्थान पर "कारपोरेट समापन खाता" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) 'जमा किए गए अदावाकृत लाभांशों और अवितरित आस्तियों का रजिस्टर' में "आस्तियों" शब्द के स्थान पर "आगम" शब्द रखा जाएगा ।

डा. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./397/19]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./ 2016-17/जी.एन./ आर.ई.जी. 005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात् -

(1) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 122, तारीख 28 मार्च, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.028, तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया)(संशोधन) विनियम, 2018;

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 393, तारीख 22 अक्तूबर, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.037, तारीख 22 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2018; और

(3) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 265, तारीख 25 जुलाई, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी. 047, तारीख 25 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019

द्वारा संशोधन किया गया है ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2020

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2020

No. IBBI/2019-20/GN/REG053. - In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: -

'(ca) "Corporate Liquidation Account" means the Corporate Liquidation Account operated and maintained by the Board under regulation 46;'.

3. In the principal regulations, in regulation 2B, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that a person, who is not eligible under the Code to submit a resolution plan for insolvency resolution of the corporate debtor, shall not be a party in any manner to such compromise or arrangement.".

4. In the principal regulations, in regulation 6, in sub-regulation (2), for clause (q), the following clause shall be substituted, namely:-

"(q) Register of unclaimed dividends and undistributed proceeds; and".

5. In the principal regulations, in regulation 21A, for sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely: -

"(2) Where a secured creditor proceeds to realise its security interest, it shall pay -

(a) as much towards the amount payable under clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 53, as it would have shared in case it had relinquished the security interest, to the liquidator within ninety days from the liquidation commencement date; and

(b) the excess of the realised value of the asset, which is subject to security interest, over the amount of his claims admitted, to the liquidator within one hundred and eighty days from the liquidation commencement date:

Provided that where the amount payable under this sub-regulation is not certain by the date the amount is payable under this sub-regulation, the secured creditor shall pay the amount, as estimated by the liquidator:

Provided further that any difference between the amount payable under this sub-regulation and the amount paid under the first proviso shall be made good by the secured creditor or the liquidator, as the case may be, as soon as the amount payable under this sub-regulation is certain and so informed by the liquidator.

(3) Where a secured creditor fails to comply with sub-regulation (2), the asset, which is subject to security interest, shall become part of the liquidation estate.".

6. In the principal regulations, in regulation 37, after sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(8) A secured creditor shall not sell or transfer an asset, which is subject to security interest, to any person, who is not eligible under the Code to submit a resolution plan for insolvency resolution of the corporate debtor.".

7. In the principal regulations, for regulation 46, the following regulation shall be substituted, namely: -

"**46. Corporate Liquidation Account.**

(1) The Board shall operate and maintain an Account to be called the Corporate Liquidation Account in the Public Accounts of India:

Provided that until the Corporate Liquidation Account is operated as part of the Public Accounts of India, the Board shall open a separate bank account with a scheduled bank for the purposes of this regulation.

(2) A liquidator shall deposit the amount of unclaimed dividends, if any, and undistributed proceeds, if any, in a liquidation process along with any income earned thereon till the date of deposit into the Corporate Liquidation Account before he submits an application under sub-regulation (3) of regulation 45.

(3) A liquidator, who holds any amount of unclaimed dividends or undistributed proceeds in a liquidation process on the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2020, shall deposit the same within fifteen days of the date of such commencement, along with any income earned thereon till the date of deposit.

(4) A liquidator, who fails to deposit any amount into the Corporate Liquidation Account under this regulation, shall deposit the same along with interest thereon at the rate of twelve percent per annum from the due date of deposit till the date of deposit.

(5) A liquidator shall submit to the authority with which the corporate debtor is registered and the Board, the evidence of deposit of the amount into the Corporate Liquidation Account under this regulation, and a statement in Form-I setting forth the nature of the amount deposited into the Corporate Liquidation Account, and the names and last known addresses of the stakeholders entitled to receive the unclaimed dividends or undistributed proceeds.

(6) The liquidator shall be entitled to a receipt from the Board for any amount deposited into the Corporate Liquidation Account under this regulation.

(7) A stakeholder, who claims to be entitled to any amount deposited into the Corporate Liquidation Account, may apply to the Board in Form J for an order for withdrawal of the amount:

Provided that if any other person other than the stakeholder claims to be entitled to any amount deposited into the Corporate Liquidation Account, he shall submit evidence to satisfy the Board that he is so entitled.

(8) The Board may, if satisfied that the stakeholder or any other person referred to under sub-regulation (7) is entitled to withdrawal of any amount from the Corporate Liquidation Account, make an order for the same in favour of that stakeholder or that other person.

(9) The Board shall maintain a corporate debtor-wise ledger of the amount deposited into and the amount withdrawn from the Corporate Liquidation Account under this regulation.

(10) The Board shall nominate an officer of the level of Executive Director of the Board as the custodian of the Corporate Liquidation Account and no proceeds shall be withdrawn without his approval.

(11) The Board shall maintain proper accounts of the Corporate Liquidation Account and get the same audited annually.

(12) The audit report along with the statement of accounts of the Corporate Liquidation Account referred to in sub-regulation (11) shall be placed before the Governing Board and shall be forwarded to the Central Government.

(13) Any amount deposited into the Corporate Liquidation Account in pursuance of this regulation, which remains unclaimed or undistributed for a period of fifteen years from the date of order of dissolution of the corporate debtor and any amount of income or interest received or earned in the Corporate Liquidation Account shall be transferred to the Consolidated Fund of India.".

8. In the principal regulations, in regulation 47, in the Table, for serial number 20 and the entries thereto, the following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Section / Regulation	Description of Task	Norm	Latest Timeline (Days)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"20	Reg. 46	Deposit the amount of unclaimed dividends and undistributed proceeds	Before submission of application under sub-regulation (3) of regulation 45"	

9. In the principal regulations, in Schedule II,-

(a) in Form H, in paragraph 2, in the Table, for serial numbers 44, 45 and 46 and entries thereto, the following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Particulars	Description
(1)	(2)	(3)
"44	Date of deposit of unclaimed dividends or undistributed proceeds and income and interest thereon, if any, under sub-regulations (2), (3) or (4) of regulation 46	
45	Amount deposited into Corporate Liquidation Account: (a) Amount of unclaimed dividends (b) Amount of undistributed proceeds (c) Income referred to in sub-regulation (2) and (3) of regulation 46 (d) Interest referred to in sub-regulation (4) of regulation 46 **Total**	
46	Date of submission to the Board and the Authority under sub-regulation (5) of regulation 46";	

(b) after Form H, the following forms shall be inserted, namely: -

"FORM -I

Deposit of Unclaimed Dividends and / or Undistributed Proceeds

[*Under Regulation 46 (5) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016*]

A. Details of Liquidation Process

Sl. No.	Description	Particulars
(1)	(2)	(3)
1	Name of the Corporate Debtor	
2	Identification Number of CD (CIN/DIN)	
3	CIRP Commencement Date	
4	Liquidation Commencement Date	
5	Date of Deposit into the Corporate Liquidation Account	
6	Amount deposited into the Corporate Liquidation Account (Rs.)	

7	Bank Account from which the amount is transferred to Corporate Liquidation Account (a) Account No: (b) Name of Bank: (c) IFSC: (d) MICR: (e) Address of Branch of the Bank:	
8	Details of the Amount (Rs.) deposited into Corporate Liquidation Account (a) Unclaimed dividends (b) Undistributed proceeds (c) Income earned till the due date of deposit (d) Interest at the rate of twelve per cent on the amount retained beyond due date (Please show computation of interest amount) **Total**	

B. Details of Stakeholders entitled to Unclaimed Dividends or Undistributed Proceeds

Sl. No.	**Name of stakeholder entitled to receive unclaimed dividends or undistributed proceeds**	**Address, phone number and email address of the stakeholder**	**Identification Number of the stakeholder (PAN, CIN, Aadhar No.) (Please attach Identification proof.)**	**Amount due to the stakeholder (Rs.)**	**Nature of Amount due**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						

C. Details of Deposit made into the Corporate Liquidation Account

I (*Name of Liquidator)* have deposited Rs…… (Rupees ….only) into the Corporate Liquidation Account on …. vide acknowledgment no.. … dated ……

I (*Name of Liquidator)* hereby certify that the details provided in this Form are true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing material has been concealed.

(Signature)

Name of the Liquidator

IP Registration No:

Address as registered with the Board:

Email id as registered with the Board:

Date:

Place:

FORM J

Withdrawal from Corporate Liquidation Account

[*Under Regulation 46 (7) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016*]

Sl. No.	Description	Particulars
(1)	(2)	(3)
1	Name of the Corporate Debtor	
2	Identification Number of CD (CIN/DIN)	
3	CIRP Commencement Date	
4	Liquidation Commencement Date	
5	Date of Dissolution Order	
6	Date of Deposit into the Corporate Liquidation Account	
7	Name of the Stakeholder seeking withdrawal	
8	Identification Number of the Stakeholder (a) PAN (b) CIN (c) Aadhaar No.	
9	Address and Email Address of Stakeholder	
10	Amount of Claim of the Stakeholder, admitted by the Liquidator	
11	Amount of unclaimed dividends / undistributed proceeds deposited by the liquidator in the Corporate Liquidation Account against the stakeholder	
12	Amount of unclaimed dividends / undistributed proceeds the Stakeholder seeks to withdraw from the Corporate Liquidation Account	
13	Bank Account to which the amount is to be transferred from the Corporate Liquidation Account, if withdrawal is approved (a) Account No.: (b) Name of Bank: (c) IFSC: (d) MICR: (e) Address of Branch of the Bank:	
14	Reasons for not taking dividend or proceeds during the Liquidation Process	
15	Any legal disability in applying for withdrawal? (Yes / No), If yes, please provide details	

DECLARATION

I, [*Name of stakeholder*], currently residing at [*insert address*], hereby declare and state as follows:

1. I am entitled to receive a sum of Rs…. (Rupees … only) from the Corporate Liquidation Account, as presented above.

2. In respect of the said sum or any part thereof, neither I nor any person, by my order, to my knowledge or belief, for my use, has received any manner of satisfaction or security whatsoever, save and except the following: .....

3. I undertake to refund the entire amount with interest as decided by the Board, in case the Board finds that I am not entitled to this amount.

4. I authorise the Board to initiate appropriate legal action against me if my claim is found false at any time.

Date:

Place:

(Signature of the Stakeholder)

VERIFICATION

I, *[Name]* the stakeholder hereinabove, do hereby verify that the contents of this Form are true and correct to my knowledge and belief and no material fact has been concealed therefrom.

Verified at ... on this ..... day of ....., 20...

(Signature of the Stakeholder)

[Note: In the case of a company or limited liability partnership, the declaration and verification shall be made by the director/manager/secretary and in the case of other entities, an officer authorised for the purpose by the entity]".

10. In the principal regulations, in Schedule III,-

(a) in 'DISTRIBUTIONS REGISTER', under '*Instructions*' in serial number 4, for the words "Public Account of India", the words "Corporate Liquidation Account" shall be substituted.

(b) in 'REGISTER OF UNCLAIMED DIVIDENDS AND UNDISTRIBUTED ASSETS DEPOSITED', for the word "ASSETS", the word "PROCEEDS" shall be substituted.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./397/19]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 dated 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 460 on 15th December, 2016 and were subsequently amended by –

(1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG028, dated the 27th March, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 122 on 28th March, 2018;

(2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2018-19/GN/REG037, dated the 22nd October, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 393 on 22nd October, 2018; and

(3) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2019 published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG047, dated the 25th July, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 265 on 25th July, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.09 22:32:06 +05'30'